

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर 333

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प 505/ली

-: आदेश :-

प्राथी के "खाता दुस्स्ती" प्रार्थना पत्र एवं पत्रवारी खानपुर तमा, व भू.अ.वि. 505/ली

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 333 /नायब तहसीलदार की अनुसूचा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 333/ली तहसील 333 व जिला 333 की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या 26 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सुलोड बुर्दे	26	1. बशीराफ कुज सोनाराफ	दलीप कुमार कुज सोनाराफ उर्फ सोहनलाल
			2. रणवीर कुज सोनाराफ	रणवीर कुज सोनाराफ उर्फ सोहनलाल

पीठासीन अधिकारी
प्रभारी अधिकारी सिविल
लोक अदालत
पंचसखण्ड अधिकारी एवं
(पदेन सहा. कलक्टर)
उपखण्ड अधिकारी, सुन्तान
दिनांक :- 01/6/22

क्रमांक :- 84
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार 333 को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फासना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राथी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी सिविल
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत सुन्तान
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, सुन्तान